फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

श्रीमती सुका देवी राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–118/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.10.2021	प्रार्थी सुका देवी पत्नी धोकलराम जाति देवासी निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प हरियाढाणा** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 611 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617 रकबा 1.0113 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 928 रकबा 1.2378 हैक्टेयर खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भ्मि वादी के पति धोकलराम पुत्र हमीरराम जाति देवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की थी। धोकलराम का देहान्त 20 वर्ष पूर्व में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम सुकादेवी के बजाय कुकादेवी लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुकादेवी है तथा सरकारी दस्तावेज भी सुकादेवी पत्नी धोकलराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में कुकादेवी पत्नी धोकलराम के स्थान पर सुकादेवी पत्नी धोकलराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी सुकादेवी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा वादी के समर्थन में अपना गवाह कोजाराम गोदपुत्र सुकादेवी के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी सुकादेवी का आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, रजिस्टर्ड शुद्धि पत्र गजराई बहक सुकादेवी दिनांक 17.07.2015 तथा अपना गोदपुत्र कोजाराम के दस्तावेजी साक्ष्य सबुत के तौर पर आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.2015 की फोटो प्रति तथा कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र दिनाक [illegible] को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भू[illegible] का [illegible] प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बि[illegible] जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादि[illegible] मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में कुकादेवी गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अं[illegible] नहीं हो रहा है। एवं मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रही हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:24 IST
Reason: SelfAttested

	करने से विदित होता है कि वादी का नाम सुकादेवी के बजाय कुकादेवी दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 611 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617 रकबा 1.0113 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 928 रकबा 1.2378 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में कुकादेवी पत्नी धोकलराम के स्थान पर सुकादेवी पत्नी धोकलराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हरियाढाणा में खले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
श्रीमती सुकादेवी पत्नी धोकलराम		राजस्थान सरकार जरिये
जाति देवासी निवासी हरियाढाणा		तहसीलदार बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 118/2021

निर्णय **दिनांक** :— 29.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददा[illegible] होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा [illegible] 611 [illegible] 0.64[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617 रकबा 1.0113 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 928 रकबा 1.2378 है[illegible] की खातेदारी [illegible] कुकादेवी पत्नी धोकलराम के स्थान पर सुकादेवी पत्नी धोकलराम की खातेदारी का[illegible] की [illegible] जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अप[illegible]हन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:24 IST
Reason: Self Attested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – को अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:24 IST
Reason: SelfAttested